FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0336 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/12/2025 22:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 18/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:36 बजे **Time To (समय तक):** 16:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/12/2025 **Time (समय):** 22:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/12/2025 22:21:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 465 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** REVARDAR KASBE KE BAHAR KAROTI KI TARAF JANE WALI ROAD, JILA SIROHI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DR.PARVEEN KUMAR CHAUDHARY

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHAGWAN JI CHAUDHARY

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MUKAM SHIV CLINIC MANDAR, REVADAR, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	YAVARPURA, DISA, बनासकांठा, गुजरात, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR.LONG MOHAMMAD RAJAD		पिता:HAFAT KHAN	1. AAKAL POST OGALA,SEDVA,BARMER,RAJA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	बीस हजार रूपये भारतीय मुद्रा एवं तीस हजार रूपये मनोरंजन बैंक के डमी नोट	50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 50,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,चित्तौडगढ़विषय- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय,उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुझ प्रार्थी प्रवीण कुमार चौधरी का हौम्योपेथिक का शिव क्लिनिक मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही में स्थित है। मेरे प्राईवेट क्लिनिक को चैक नही करने एवं केस नही बनाने की ऐवज में ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर डॉ0 लोन्ग मोहम्मद मेरे से खर्चे पानी के लिए 50 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। पूर्व में भी डॉ0 लोन्ग मोहम्मद को खर्चे पानी के पैसे नही देने के कारण मेरे खिलाफ केस बनवा दिया था तथा खर्चा पानी नही देने पर दुबारा केस बनाने की धमकी दे रहे है। मैं उन्हे रिश्वत नही देना चाहता हुं बल्कि उन्हे रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चाहता हुं। मेरी डॉ0 लोन्ग मोहम्मद से कोई आपसी रजिंश नही है एवं ना ही कोई उधार का लेन-देन बकाया है तथा ना ही मुझे कोई राजकीय राशि जमा कराना बाकी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही कराना फरमावें।प्रार्थी(डॉ0 प्रवीण कुमार चौधरी)निवासी ग्राम यावरपुरा डिसाजिला बनासकांटा (गुजरात)मोबाईल नम्बर दिनांक 12.12.2025कार्यवाही पुलिसकार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तोड़गढ़महोदय,मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 11.12.2025 को समय करीब 05.36 पी0एम0 पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर बताया कि मैं मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही में हौम्योपेथिक की क्लिनिक चलाता हुं। मेरी क्लिनिक को चैक नही करने एवं केस नही बनाने की ऐवज में डॉ. लोंग मोहम्मद ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर द्वारा खर्चे पानी के रूप में 50 हजार रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। मैं डॉ. लोंग मोहम्मद को रिश्वत नही देना चाहता हुं बल्कि उसको रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चाहता हुं। परिवादी से आवश्यक पूछताछ करने पर बताया कि मेरे द्वारा पुर्व में भी उक्त डॉ. को रिश्वत नही देने पर किसी अन्य अधिकारी को भेज मेरे खिलाफ केस बना दिया जो केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मेरी उक्त डॉ. से कोई आपसी रजिंश नही है एवं ना ही कोई उधार का लेन-देन बकाया है तथा ना ही मुझे कोई राजकीय राषि अथवा जुर्माना जमा कराना है। कृपया कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी द्वारा यह भी बताया गया कि मैंने हौम्योपैथिक में बी. एच.एम.एस. की डिग्री प्राप्त की हुई है। परिवादी को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु कहा गया एवं ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ पर उपस्थित होने हेतु उक्त षिकायत के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने हेतु प्रार्थना पत्र देने हेतु कहा गया। परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की तथा कहा कि आप आपके विभाग के किसी कार्मिक को मेरे पास भिजवा दे, मैं रिष्वत राशि की मांग का सत्यापन करवा दूंगा तथा प्रार्थना पत्र भी दे दूंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की आवष्यक हिदायत दी गई तथा श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0 296 को बुलाकर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर देकर हिदायत दी गई कि परिवादी से वार्ता कर मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही पहुंच कर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। इसके बाद समय करीब 06.03 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी को बताया कि ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ के श्री शेर सिंह ड्रा कानि0 के मोबाईल नम्बर है, जो आपसे कॉल कर सम्पर्क कर लेगा। उसे बता देना कि रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने के लिए कब और कहां आना है। वो आपको सरकारी डीवीआर को संचालन करने की विधि समझा देगा। उसे हमरा ले रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें तथा प्रार्थना पत्र भी उसे दे देवें। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद समय करीब 06.20 पी0एम0 पर श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैंने आपके निर्देशानुसार समय करीब 6.13 पी.एम पर परिवादी को कॉल कर वार्ता की जिस पर उसने मुझे कल दिनांक 12.12.2025 को सुबह 10.00 बजे के करीब मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने बुलाया है। इस पर श्री शेर सिंह को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। इसके बाद दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 04.00 ए0एम0 पर श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0 को सरकारी डीवीआर मय् एक खाली मैमोरी कार्ड केडीएम कंपनी का 32 जीबी बरंग काला को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही पहुंच परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उसे डीवीआर को चालु व बन्द करने की विधि की समझाईश कर उसके हमरा जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें।

श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0 को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही के लिए रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 13.12.2025 को समय करीब 09.00 पी0एम0 पर श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी का प्रार्थना पत्र एवं सरकारी डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत कर बताया कि मैं दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 10.00 एएम पर सिरोही पहुंचा जहां पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी उपस्थित मिला। परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिया जिसे अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी को हमराह ले उसके बताये अनुसार उसके निजी वाहन से रेवदर पहुंचे। परिवादी को डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश कर डीवीआर में सुपुर्दशुदा खाली मैमोरी कार्ड लगाकर डीवीआर चालु कर समय करीब 11.38 एएम पर परिवादी को उसके निजी वाहन से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर के लिए रवाना किया था। मैं कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडा हो गया। कुछ देर बाद परिवादी आया तथा डीवीआर को बन्द कर मुझे बताया कि लोंग मोहम्मद कार्यालय में नही मिला है। जिस पर समय करीब 11.53 एएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप कॉल किया गया तथा रिंग जाने के बाद मोबाईल का लॉउड स्पीकर ऑन कर परिवादी द्वारा सरकारी डीवीआर चालु कर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। वार्ता के अन्त में डॉ. लोंग मोहम्मद ने परिवादी को कहा कि पेशी से फ्री होकर मेरे को कॉल करना। डीवीआर को बन्द किया गया तत्पश्चात् समय करीब 12.15 पीएम पर पुनः परिवादी के मोबाईल नम्बर से डॉ लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप कॉल किया गया तथा रिंग जाने के बाद मोबाईल का लॉउड स्पीकर ऑन कर परिवादी द्वारा सरकारी डीवीआर चालु कर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। वार्ता के अन्त में डॉ. लोंग मोहम्मद ने परिवादी को कहा कि ऑफिस में जाकर बैठो फिर में बताता हुं। डीवीआर को बन्द किया गया। इसके बाद परिवादी को मय् डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड के पुनः रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर के लिए रवाना किया था। मैं कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडा हो गया। कुछ देर बाद परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे बताया कि डॉ लोंग मोहम्मद के ऑफिस में नही आने पर मैंने उनको कॉल किया जिस पर उन्होने मुझे उनके निवास पर बुलाया। उक्त वार्ता को मै रिकॉर्ड नही कर पाया। इसके बाद मैं व परिवादी उसकी गाडी से कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर से रवाना होकर डीवीआर चालु कर डॉ लोंग मोहम्मद के घर के पास कुछ पहले उतर गया तथा परिवादी अपने निजी वाहन से डॉ लोंग मोहम्मद के आवास पर चला गया। मैं डॉ लोंग मोहम्मद के आवास के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा हो गया। समय करीब 12.50 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया तथा डीवीआर बन्द कर मुझे सुपुर्द करते हुए बताया कि डॉ. लोंग मोहम्मद अपने आवास पर मौजुद था जिनसे मेरी रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में बातचित हो गई है। उक्त वार्तालाप को मैंने सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड कर लिया है। डॉ लोंग मोहम्मद ने मेरे से 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की है तथा 2-3 दिन बाद रिश्वत राशि 50 हजार रूपये में से 20 हजार रूपये पहले देना तय हुआ है, शेष राशि 1 माह बाद देना तय हुआ है। इसके बाद उक्त समस्त हालात मैंने जरिये दूरभाष आपको निवेदन किये थे तथा परिवादी से भी आपकी वार्ता करवायी थी तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को गोपनीयता बरतने कि हिदायत कर तथा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20 हजार रूपये की व्यवस्था करने की कहकर उसे रेवदर में ही छोड़कर वहाँ से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आया हुं । परिवादी के प्रार्थना पत्र का उपरोक्त अंकित अनुसार अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किया गया। डीवीआर को चालू कर सुना गया तो आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद द्वारा रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। आईन्दा स्वतन्त्र गवाहान की तलबी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड व परिवादी के प्रार्थना पत्र को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। इसके बाद दिनांक 15.12.2025 को समय करीब 04.00 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रकरण संख्या 163/2023 में चालान पेश करने हेतु एसीबी कोर्ट, भीलवाड़ा जाकर वहाँ से बाद राजकार्य फारिक हो एसीबी कोर्ट, चित्तौडगढ़ पहुंच प्रकरण संख्या 239/2025 में आरोपी की आवाज का नमूना लेने से सम्बन्धित न्यायालय की कार्यवाही से फारिक होकर एसीबी कार्यालय चित्तौडगढ़ उपस्थित आया। श्री दलपत सिंह, एएसआई द्वारा निर्देशानुसार स्वतन्त्र गवाह की तलबी बाबत् उसके द्वारा जारी किया हुआ पत्र क्रमांक 3306 दिनांक 15.12.2025 एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक चित्तौडगढ़ का पत्र क्रमांक 4425 दिनांक 15.12.2025 पेश कर कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाह से मिलवाया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनो गवाहान को अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा तो एक गवाह ने अपना नाम श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री शान्ता राम मीणा उम्र 46 वर्ष निवासी गांव रामपुरा पोस्ट गुढा तहसील जहाजपुर पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नगरी, बस्सी जिला चित्तौडगढ़ होना बताया एवं दूसरे गवाह ने अपना नाम श्री नारायण लाल भाट पुत्र श्री बद्री लाल भाट उम्र 58 वर्ष निवासी मकान नम्बर 291 सेक्टर नम्बर 4, गांधी नगर चित्तौडगढ़ हाल व्याख्याता महात्मा गांधी राजकीय विधालय, चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ होना बताया। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही बाबत् दोनो स्वतंत्र गवाहान को बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहन ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की जिस पर दोनो गवाहन को परिवादी द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़ कर सुनाया गया व दिखाया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहानों को सरकारी डिवीआर में दिनांक 12.12.2025 को रिकार्ड की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चालू कर मुख्य अंशों को सुनाया गया तो दोनों गवाहानों ने रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाह को कार्यालय में बिठाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 04.15 पी0एम0 पर श्री शेर सिंह कानि. ड्रा. को टैक्सी स्टेण्ड से एक प्राईवेट वाहन लाने हेतु रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 04.25 पी0एम0 पर श्री शेर सिंह कानि. ड्रा. एक प्राईवेट वाहन इनोवा संख्या आरजे 09 यूसी 9999 लेकर उपस्थित आया तथा प्राइवेट वाहन के मालिक की मौखिक सहमति अनुसार उक्त वाहन को ब्यूरो के कानि. श्री सुनील कुमार द्वारा चलाया जायेगा। इसके बाद समय करीब 04.30 पी0एम0 पर स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि, व श्री सन्दीप कुमार कानि0 के जरिये राजकीय वाहन ट्वेरा नम्बर आरजे 14 यूई 8792 मय् चालक श्री शेर सिंह के बजानिब रेवदर जिला सिरोही के लिए रवाना कर इनके साथ-साथ मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सीताराम मीणा व श्री नारायण लाल भाट एवं टेªप पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार कानि0 को हमराह् ले मय सरकारी डिवीआर मय रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री मय सरकारी मोबाईल मय खाली मैमोरी कार्ड के जरिये प्राईवेट वाहन इनोवा के एवं प्रवीण सिंह् कानि0 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवा कर हमरा ले ट्रेप कार्यवाही हेतु बजानिब रेवदर ज़िला सिरोही के लिए रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 09.15 पी0एम0 पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अलग-अलग वाहनों से सिरोही से आगे पाली रोड पर स्थित होटल ओम प्रतिक्षा रेस्टोरेन्ट, सिरोही के बाहर पहुंचे। वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाया। उक्त होटल के बाहर पाबन्दशुदा परिवादी श्री प्रवीण कुमार चौधरी उपस्थित मिला जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय प्राप्त किया तो परिवादी ने अपना नाम डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी पुत्र श्री भगवान जी चौधरी उम्र 31 वर्ष निवासी यावरपुरा तहसील डिसा जिला बनासकांटा (गुजरात) हाल मुकाम शिव क्लिनिक, मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही होना बताया। परिवादी को साथ लेकर एवं दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के एवं ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त संसाधनो को साथ लेकर होटल ओम प्रतीक्षा के कमरा नम्बर 104 में प्रवेश किया। परिवादी का दोनो स्वतन्त्र गवाह से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 12.12.2025 को श्री शेर सिंह कानि0 ड्रा. को दिया गया प्रार्थना पत्र पढ़ कर सुनाया व दिखाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.12.2025 के डीवीआर को चालु कर वार्ता के मुख्य अंशो को सुनाया गया तो इसमें परिवादी ने एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज डॉ. लोंग मोहम्मद ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी की होना बताया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार करवायी जावेगी। इसके बाद समय करीब 09.30 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 12.12.2025 को समय 11.53 ए.एम. पर परिवादी डॉ0 प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ0 लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 12.12.2025 समय करीब 12.15 पी.एम. पर परिवादी डॉ0 प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ0 लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता एवं दिनांक 12.12.2025 समय करीब 12.18 पी.एम. से 12.48 पी.एम. के मध्य हुई रूबरू वार्ता परिवादी डॉ0 प्रवीण कुमार चौधरी एवं आरोपी डॉ0 लोंग मोहम्मद ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक रेवदर, जिला सिरोही के मध्य आरोपी के रिहायशी मकान रेवदर पर हुई, जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त तीनों वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री संदीप कुमार कानि 83 से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 11.30 पी0एम0 पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20 हजार रूपये लेकर रेवदर से पहले बन्द पडे टोल नाका करोटी के पास एकान्त स्थान पर कल दिनांक 16.12.2025 को समय करीब 10.00 एएम पर मिलने के लिए पाबन्द कर रूखसत दी गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस सभी हमराहियान के साथ होटल ओम प्रतीक्षा पर ही रात्रि विश्राम हेतु मुकिम रहा। इसके बाद दिनांक 16.12.2025 को समय करीब 09.05 ए0एम0 पर होटल ओम प्रतीक्षा से कमरा नम्बर 104 का बिल प्राप्त कर शामिल पत्रावली कर होटल ओम प्रतीक्षा से स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि, व श्री सन्दीप कुमार कानि0 के जरिये राजकीय वाहन ट्वेरा नम्बर आरजे 14 यूई 8792 मय् चालक श्री शेर सिंह के बजानिब बन्द पडे टोल नाका करोटी जिला सिरोही की तरफ रवाना कर इनके साथ-साथ मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सीताराम मीणा व श्री नारायण लाल भाट एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार कानि0 को हमराह ले मय कार्यवाही की पत्रावली मय सरकारी डिवीआर मय रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री एवं सरकारी मोबाईल मय खाली मैमोरी कार्ड एवं प्रवीण सिंह कानि0 एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के जरिये प्राईवेट वाहन इनोवा के ट्रेप कार्यवाही हेतु बजानिब बन्द

पडे टोल नाका करोटी जिला सिरोही की तरफ रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 10.00 ए0एम0 पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के एवं अन्य स्टाफ के सदस्य पृथक-पृथक वाहनों से बन्द पडे टोल नाका करोटी के पास एकान्त स्थान पर पहुंचे जहाँ पर पुर्व तलबिदा परिवादी अपने निजी वाहन के साथ खड़ा मिला। वाहनों को साईड में खड़ा करवाया तथा आवश्यक संसाधन व स्टेशनरी लेकर करोटी टोल नाका पर साईड में बने एक कमरे में मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह व परिवादी एवं टेªप पार्टी सदस्यों के पहुंचे । इसके बाद समय करीब 10.15 ए0एम0 पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पूर्व पाबंद शुदा परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी पुत्र श्री भगवान जी चौधरी उम्र 31 वर्ष निवासी यावरपुरा तहसील डिसा जिला बनासकांटा (गुजरात) हाल मुकाम शिव क्लिनिक मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही, बंद पड़ा टोल नाका करोटी पर उपस्थित मिला, जिस पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी ने अपने पास से निकालकर पॉच-पॉच सौ रूपये के 40 नोट कुल बीस हजार रूपये पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है-क्र0स0 नोटो का विवरण नोटो के नम्बर1 एक नोट 500/- रूपये का 6VR 1497602 एक नोट 500/- रूपये का 8UM 3205233 एक नोट 500/- रूपये का 1MV 6793914 एक नोट 500/- रूपये का 9HW 8751695 एक नोट 500/- रूपये का 2TW 9059486 एक नोट 500/- रूपये का 2QQ 3487907 एक नोट 500/- रूपये का 2BP 9216798 एक नोट 500/- रूपये का 0KQ 5607249 एक नोट 500/- रूपये का 7GM 58196210 एक नोट 500/- रूपये का 0VN 41346411 एक नोट 500/- रूपये का 2VB 76482112 एक नोट 500/- रूपये का 4UP 76201113 एक नोट 500/- रूपये का 4QH 38772714 एक नोट 500/- रूपये का 9FU 27111315 एक नोट 500/- रूपये का 2HH 07216216 एक नोट 500/- रूपये का 9CQ 11862517 एक नोट 500/- रूपये का 8KR 15735118 एक नोट 500/- रूपये का 9UD 83868519 एक नोट 500/- रूपये का 0PF 85924020 एक नोट 500/- रूपये का 8BU 93457021 एक नोट 500/- रूपये का 7GD 69887022 एक नोट 500/- रूपये का 1PW 44673423 एक नोट 500/- रूपये का 7VQ 19633224 एक नोट 500/- रूपये का 5QK 02059025 एक नोट 500/- रूपये का 7BE 12806126 एक नोट 500/- रूपये का 3NK 96753427 एक नोट 500/- रूपये का 2CN 27018128 एक नोट 500/- रूपये का 5DL 22659429 एक नोट 500/- रूपये का 4MV 75242030 एक नोट 500/- रूपये का 3FN 50267931 एक नोट 500/- रूपये का 9KH 56471032 एक नोट 500/- रूपये का 8WU 33940433 एक नोट 500/- रूपये का 5VN 73510434 एक नोट 500/- रूपये का 9KR 81475335 एक नोट 500/- रूपये का 2EK 32233436 एक नोट 500/- रूपये का 0VE 82422437 एक नोट 500/- रूपये का 9PR 83950338 एक नोट 500/- रूपये का 3PC 90772039 एक नोट 500/- रूपये का 5EA 98974740 एक नोट 500/- रूपये का 8EM 019559उपरोक्त समस्त भारतीय प्रचलन मुद्रा के नोटो के अलावा भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 रूपयें के 60 डमी नोट कुल राशि 30,000 रूपयें सहित कुल राशि 50,000 रूपयें पर श्री प्रवीण सिंह कानि0 को सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर को निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री सीताराम मीणा द्वारा परिवादी की तलाशी लिवाई गई तो पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं होने पर उक्त समस्त नोटो में से भारतीय प्रचलन मुद्रा के 500-500 रूपयें के 20 नोट को उपर एवं बीच में भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 रूपयें के 60 नोटो को रखने के बाद नीचे भारतीय प्रचलन मुद्रा के 500-500 रूपयें के 20 नोटो सहित कुल राशि 50,000 रूपयें को परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। श्री प्रवीण सिंह कानि. से एक साफ प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री प्रवीण सिंह कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री प्रवीण सिंह कानि0 से बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को साथ लेकर बाद फारिक कार्यवाही के एसीबी चौकी चित्तौडगढ के लिए रवाना होने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त उपरोक्त डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिकवाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद गोपनीय निर्धारित ईशारा (अपने दोनो हाथो को स्वयं के सिर पर घुमाना/मोबाईल कॉल) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा श्री प्रवीण सिंह कानि. से ट्रेप कार्यवाही में

प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियों, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व नये डिस्पोजल गिलास पेकेट ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री प्रवीण सिंह कानि0 के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन ने धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। इसके बाद समय करीब 10.40 एएम पर श्री प्रवीण सिंह कानि0 को फिनोलफ्लीन पाउडर की शीशी के साथ ब्यूरो कार्यालय चित्तोड़गढ़ पर जाने के लिये करोटी टोल नाके पर ही छोड़ गया। परिवादी ने बताया कि मैं रेवदर से होटल वन्दे मातरम् पर जाकर कॉल कर डॉ. लोंग मोहम्मद को वही बुला लुगा और रिश्वत राशि दे दूंगा। जिस पर परिवादी के हमरा स्वतन्त्र गवाह श्री सीताराम मीणा व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0 को परिवादी की स्वयं की गाडी से होटल वन्दे मातरम् की तरफ रवाना कर उनके पीछे-पीछे सरकारी वाहन से ट्रेप पार्टी श्री दलपत सिंह, एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 को रवाना कर इनके साथ-साथ प्राईवेट वाहन से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं श्री सुनील कुमार कानि0 के होटल वन्दे मातरम्, रेवदर की तरफ रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 10.50 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य अपने-अपने वाहनों से होटल वन्दे मातरम् के कुछ पहले पहुंच वाहनो को साईड में खड़ा कर होटल वन्दे मातरम् के आस-पास मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 11.20 एएम पर परिवादी ने बिना ईशारा किये मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर बताया कि मैंने समय करीब 10.51 एएम पर डॉ. लोंग मोहम्मद से जरिये वाट्सएप कॉल वार्ता की जिसे मैंने सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वार्ता में डॉ. लोंग मोहम्मद ने मुझे होटल वन्दे मातरम् पर आने के लिए कहा परन्तु डॉ. लोंग मोहम्मद होटल वन्दे मातरम् पर नही आये तथा उनके स्थान पर एक नर्सिंग कर्मचारी को भेजा जिसे मेरी बातचित हुई थी। जिसे भी मैंने सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया है। जिस पर डीवीआर परिवादी से प्राप्त कर चालु कर दोनो स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई उक्त दोनो वार्ताए सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड है। दोनों वार्ताओं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से तैयार करवायी जायेगी। परिवादी ने बताया कि डॉ. लोंग मोहम्मद कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर में ही मौजुद है जिनको मैं उनके कार्यालय में ही मिलकर उनको रिश्वत राशि दे दुंगा। इसके बाद समय करीब 11.40 एएम पर परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर उसके हमरा स्वतन्त्र गवाह श्री सीताराम मीणा व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0 को परिवादी की स्वयं की गाडी से कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर के लिए रवाना कर उनके पीछे-पीछे सरकारी वाहन से ट्रेप पार्टी श्री दलपत सिंह, एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 को रवाना कर इनके साथ-साथ प्राईवेट वाहन से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं श्री सुनील कुमार कानि0 के कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर की तरफ रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 11.50 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य अपने-अपने वाहनों से कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर के कुछ पहले पहुंच वाहनो को साईड में खड़ा करवा कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर के आस-पास मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 01.20 पीएम पर परिवादी ने बिना ईशारा किये मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर डीवीआर को बन्द हालत में पेश करते हुए बताया कि डॉ. लोंग मोहम्मद कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर में मौजुद थे परन्तु उनके आस-पास अन्य लोग मौजुद होने से मै उनसे नही मिला तथा वह अपनी गाडी लेकर अपने निवास के लिए निकल गये है। मैंने सरकारी डीवीआर को चालु किया था परन्तु उसमें डॉ. लोंग मोहम्मद से मेरी कोई वार्ता नही हुई। जिस पर डीवीआर को चालु कर दोनो स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष सुना गया तो उसमें मौजूद वार्ता में ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाया। परिवादी ने बताया कि डॉ. लोंग मोहम्मद अपने निवास पर अकेले होगे जहाँ में उनको मांग अनुसार रिश्वत राशि दे सकता हुं। इसके बाद समय करीब 01.30 पीएम पर परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर परिवादी के हमरा स्वतन्त्र गवाह श्री सीताराम मीणा व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0 को परिवादी की स्वयं की गाडी से रेवदर स्थित डॉ0 लोंग मोहम्मद के निवास के लिए रवाना कर उनके पीछे-पीछे सरकारी वाहन से ट्रेप पार्टी श्री दलपत सिंह, एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 को रवाना कर इनके साथ-साथ प्राईवेट वाहन से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं श्री सुनील कुमार कानि0 के डॉ0 लोंग मोहम्मद के निवास के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 01.35 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के एवं अन्य टे^aप पार्टी सदस्य अपने-अपने

वाहनों से रेवदर स्थित डॉ0 लोंग मोहम्मद के निवास के कुछ पहले पहुंच वाहनो को साईड में खड़ा करवा डॉ0 लोंग मोहम्मद के निवास के आस-पास मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 01.45 पीएम पर परिवादी ने बिना ईशारा किये मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर डीवीआर को बन्द हालत में पेश करते हुए बताया कि डॉ. लोंग मोहम्मद का निवास बाहर से बन्द था डॉ. लोंग मोहम्मद अपने निवास पर नहीं है। मैंने सरकारी डीवीआर को चालु किया था। जिस पर डीवीआर को चालु कर दोनो स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष सुना गया तो उसमें मौजूद वार्ता में ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाया। इसके बाद समय करीब 01.50 पीएम पर परिवादी के हमरा स्वतन्त्र गवाह श्री सीताराम मीणा व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0 को परिवादी की स्वयं की गाडी से एवं उनके पीछे-पीछे सरकारी वाहन से ट्रेप पार्टी श्री दलपत सिंह, एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 को डॉ0 लोंग मोहम्मद के निवास के पास से रेवदर कस्बे के बाहर एकान्त स्थान पर करौटी चौराया से पहले रूकने की हिदायत कर रवाना कर इनके साथ-साथ प्राईवेट वाहन से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं श्री सुनील कुमार कानि0 के रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 02.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं श्री सुनील कुमार कानि0 के रेवदर कस्बे के बाहर एकान्त स्थान पर करौटी चौराया से कुछ पहले पहुंचा जहां पर परिवादी व स्वतन्त्र गवाह श्री सीताराम मीणा व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 व चालक श्री शेर सिंह कानि0 उपस्थित मिले। सभी वाहनों को साईड में खड़ा करा डॉ0 लोंग मोहम्मद के पुनः कार्यालय में आने की इन्तजार में वहीं मुकिम रहे। इसके बाद समय करीब 02.20 पीएम पर परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर उसके हमरा स्वतन्त्र गवाह श्री सीताराम मीणा व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0 को परिवादी की स्वयं की गाडी से कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर के लिए रवाना कर उनके पीछे-पीछे सरकारी वाहन से ट्रेप पार्टी श्री दलपत सिंह, एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 को रवाना कर इनके साथ-साथ प्राईवेट वाहन से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं श्री सुनील कुमार कानि0 के कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर की तरफ रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 02.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य अपने-अपने वाहनों से कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर के कुछ पहले पहुंच वाहनो को साईड में खड़ा करवा कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर के आस-पास मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 02.50 पीएम पर परिवादी ने बिना ईशारा किये मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर डीवीआर को बन्द हालत में पेश करते हुए बताया कि डॉ. लोंग मोहम्मद कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर में मौजुद नही है। मैं जल्दबाजी में डीवीआर चालु नहीं कर पाया। जिस पर डीवीआर को चालु कर दोनो स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष सुना गया तो उसमें अभी की कोई वार्ता नही होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि अब डॉ. लोंग मोहम्मद कही रेवदर से अन्य जगह चल गये है आज रिश्वत राशि का लेन-देन नही हो पायेगा। जिस पर अब तक के हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन किये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि गोपनीयता बनाये रखे तथा जब भी डॉ. लोंग मोहम्मद रिश्वत राशि लेकर बुलावे तब तुरन्त ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ पर सूचना करें। परिवादी की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि निकवाकर परिवादी से एक सफेद कागज में लिपटवाकर रखवायी गई तथा सफेद कागज में लिपटी हुई रिश्वत राशि को गवाह श्री सीताराम मीणा के पास सुरक्षित रखने हेतु दी गई। परिवादी को रेवदर में ही रूखसत किया गया। इसके बाद समय करीब 03.30 पी0एम0 पर स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि, व श्री सन्दीप कुमार कानि0 के जरिये राजकीय वाहन ट्वेरा नम्बर आरजे 14 यूई 8792 मय् चालक श्री शेर सिंह के रेवदर जिला सिरोही से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ के लिए रवाना कर इनके साथ-साथ मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सीताराम मीणा व श्री नारायण लाल भाट एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार कानि0 को हमराह ले मय सरकारी डिवीआर मय रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री मय सरकारी मोबाईल मय खाली मैमोरी कार्ड के जरिये प्राईवेट वाहन इनोवा के रेवदर जिला सिरोही से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ के लिए रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 10.30 पी0एम0 पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सीताराम मीणा व श्री नारायण लाल भाट एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार कानि0, श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री जितेन्द्र कुमार कानि, व श्री सन्दीप कुमार कानि0 ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर पहुंचे। गवाह श्री सीताराम मीणा से रिश्वत राशि जो सफेद कागज में लिपटी हुई को निकलवाकर कार्यवाहक मालखाना ईचाज श्री सुनिल कुमार कानि0 264 को सुपुर्द कर दुरूस्त हालात में एक तरफ मालखाने में रखवाया गया। कार्यवाही की पत्रावली एवं डीवीआर मय रिकार्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड एवं सरकारी मोबाईल मय खाली मैमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु कार्यवाहक मालखाना ईचाज श्री सुनील कुमार कानि0 264 को सुपुर्द कर दुरूस्त हालात में मालखाने में रखवाया गया।

दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सीताराम मीणा व श्री नारायण लाल भाट को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई तथा जब भी ब्यूरो द्वारा जरिये दूरभाष तलब किया जावे तब उपस्थित होवें तथा गवाह श्री सीताराम जी को आईन्दा दूसरी ड्रेस पहनकर आने की हिदायत कर दोनो गवाहान को रूखसत किया गया। स्टाफ के सदस्यों को भी गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 17.12.2025 को समय करीब 09.30 एएम पर श्री शेरसिंह कानि0 ड्रा. ने बताया कि मेरे मोबाईल पर परिवादी का कॉल आया है उसने बताया कि डॉ. लोंग मोहम्मद ने रिश्वत राशि लेकर कल बुलाया है। अतः दोनो स्वतन्त्र गवाह को कल सुबह 9.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष पाबन्द करवाया गया। इसके बाद दिनांक 18.12.2025 को समय करीब 09.30 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री नारायण लाल भाट, व्याख्यता एवं श्री सीताराम मीणा, वरिष्ठ अध्यापक कार्यालय में उपस्थित आये है जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 09.35 एएम पर श्री शेरसिंह कानि0 ड्रा. को एक प्राईवेट टैक्सी किराये कर लाने हेतु टैक्सी स्टेण्ड चित्तौडगढ़ के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 09.50 एएम पर श्री शेरसिंह कानि0 ड्रा. को एक प्राईवेट वाहन अरर्टिका नम्बर आरे 09 यूए 4670 मय चालक श्री कालू कीर निवासी कुम्भा नगर चित्तौडगढ़ मोबाईल नम्बर को लेकर उपस्थित आया। इसके बाद समय करीब 10.00 एएम पर स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री सीताराम मीणा व श्री नारायण लाल भाट के जरिये प्राईवेट वाहन बजानिब रेवदर जिला सिरोही के लिए रवाना कर इनके साथ-साथ मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टेम्प पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार कानि0, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 एवं श्री प्रवीण कुमार कानि0 से मालखाने में रखी हुई रिश्वत राशि 50 हजार रूपये जो एक सफदे कागज में लिपटे हुए को निकलवाकर उसके पास सुरक्षित रखवा कर मय सरकारी डिवीआर मय रिकॉर्डिगशुदा मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री मय सरकारी मोबाईल मय खाली मैमोरी कार्ड व कार्यवाही की पत्रावली के जरिये राजकीय वाहन ट्वेरा नम्बर आरजे 14 यूई 8792 मय् चालक श्री शेर सिंह के ट्रेप कार्यवाही हेतु बजानिब रेवदर जिला सिरोही के लिए रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 02.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टेम्प पार्टी सदस्यों एवं स्वतन्त्र गवाहान के अपने-अपने वाहनों से होटल बाबा रामदेव सिरोही पर पहुंचे। वाहनों को साईड में खड़ा करवाया। होटल बाबा रामदेव पर पूर्व तलबिदा परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी अपने निजी वाहन से उपस्थित आया। इसके बाद समय करीब 02.12 पीएम पर परिवादी के निजी वाहन में मन् उप अधीक्षक पुलिस व श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 के परिवादी के साथ बैठकर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से डॉ लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप कॉल किया गया परन्तु कॉल कनेक्ट नही हुआ तब तक तुरन्त ही परिवादी के मोबाईल पर आरोपी डॉ लोंग मोहम्मद का वाट्सएप कॉल आ गया जिस पर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर सरकारी डीवीआर में वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। वार्तानुसार आरोपी डॉ लोंग मोहम्मद ने परिवादी को कहा कि तु मण्डार आकर मुझे कॉल करना। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से मूर्तिब की जावेगी। अंतः अग्रिम कार्यवाही हेतु मण्डार के लिए प्रस्थान किया जावेगा। इसके बाद समय करीब 02.20 पीएम पर श्री प्रवीण सिंह कानि. से रिश्वत राशि जो सफदे कागज में लिपटी हुई है जिसे निकलवाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रिश्वत राशि श्री प्रवीण सिंह कानि. से रखवायी गई तथा श्री प्रवीण सिंह कानि. को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर जाने हेतु होटल बाबा रामदेव पर ही छोडकर तथा श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि. को जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री शेर सिंह के रेवदर कस्बे में पहुंच कर अग्रिम निर्देश तक वही मुकिम रहने की हिदायत कर रवाना कर तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं सुनील कुमार कानि. के परिवादी को हमरा ले परिवादी के निजी वाहन से मण्डार के लिए रवाना होते हुए हमारे साथ-साथ प्राईवेट वाहन से श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के मय् चालक के मण्डार स्थित परिवादी के घर के लिए रवाना हुए। इसके बाद समय करीब 04.05 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं सुनील कुमार कानि. एवं परिवादी के साथ परिवादी के निजी वाहन से एवं प्राईवेट वाहन से श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के मय् चालक के मण्डार स्थित परिवादी के घर के पास पहुंचे। वाहनों को साईड में खड़ा करवाया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के निवास में प्रवेश किया। इसके बाद समय करीब 04.09 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से डॉ लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप कॉल किया गया। जिस पर डॉ लोंग मोहम्मद ने परिवादी को कहा कि मैं उधर आकर कॉल करता हुं, फिर आप उधर आ जाना। उक्त वार्ता को सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 04.11 पीएम पर डॉ लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर से परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप कॉल आया। जिस पर डॉ लोंग मोहम्मद ने परिवादी को कहा कि ऐसा कर तु आ जा रेवदर, घर के पास आकर कॉल करना। उक्त वार्ता को सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 04.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं सुनील कुमार कानि. एवं परिवादी को हमरा ले परिवादी के निजी वाहन से एवं प्राईवेट वाहन से श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार

कानि. के मय् चालक के मण्डार स्थित परिवादी के घर से रेवदर स्थित आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के निवास स्थान के लिए रवाना हुए। इसके बाद समय करीब 04.42 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय गवाह श्री नारायण लाल भाट एवं सुनील कुमार कानि. एवं परिवादी के साथ परिवादी के निजी वाहन से एवं प्राईवेट वाहन से श्री ओम प्रकाश एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के मय् चालक के रेवदर स्थित आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के निवास स्थान से कुछ पहले पहुंचे। वाहनों को साईड में खड़ा करवाया। इसके बाद समय करीब 04.45 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से डॉ लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप कॉल किया गया। जिस पर डॉ. लोंग मोहम्मद ने परिवादी को कहा कि घर पर आ जाओं। उक्त वार्ता को सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 04.48 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी पुत्र श्री भगवान जी चौधरी उम्र 31 वर्ष निवासी यावरपुरा तहसील डिसा जिला बनासकांटा (गुजरात) हाल मुकाम शिव क्लिनिक मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही को मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के हिदायत मुनासिब कर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद से हुई वाट्सअप कॉल वार्ता के अनुसार अपने निवास पर बुलाये जाने पर निवास के लिये रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान अपने-अपने वाहनों में रोड़ के साईड में इन्तजार कर रहे थे, इतने में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद अपनी निजी गाड़ी आरजे 04 सीए 8787 में परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को बिठाकर रेवदर बस स्टेण्ड की तरफ जाता दिखा, जिसके पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमरायान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान अपने-अपने वाहनों एवं परिवादी के निजी वाहन से पीछे-पीछे चलते रहे तो रेवदर कस्बे के बाहर करोटी की तरफ जाने वाली रोड़ पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को मैन रोड़ पर आरोपी के वाहन से उतारा, तब परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी द्वारा अपने सिर पर दोनो हाथ फैर कर पूर्व निर्धारित ईशारा समय करीब 4.55 पी.एम. पर किया, जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय.स्वतंत्र गवाहान श्री सीताराम मीणा व श्री नारायण लाल भाट, जितेन्द्र कुमार कानि. मय प्राईवेट वाहन (किराये पर) मय चालक ने निर्धारित ईषारा परिवादी का देखकर सरकारी ट्वेरा में श्री दलपत सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री संदीप कुमार कानि., श्री शेर सिंह कानि. चालक एवं परिवादी के निजी वाहन में श्री ओमप्रकाष शर्मा सहायक उप निरीक्षक, श्री सुनिल कुमार कानि. बैठे हुए को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मोबाईल कॉल कर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद की निजी गाड़ी आरजे 04 सीए 8787 का पीछा कर पकड़ने के संबंध में बताया गया, जिस पर परिवादी के निजी वाहन में परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को बैठाकर पूर्व में दिया गया डीवीआर मय मैमोरी कार्ड ऑन शुदा को बंद कर सुरक्षित श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक के पास सुरिक्षत रखा गया तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक मय हमरायान अपने-अपने वाहनों से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद की गाड़ी के पीछे-पीछे चलते रहे, करोटी चौराहे से आरोपी द्वारा अपनी गाड़ी को तेज गति से भैरू गढ रोड़ की तरफ भगाने पर उनका पीछा करते हुए भैरू गढ से भटाणा रोड़ वीर मामाजी के थान के पास मोड़ पर आरोपी की निजी गाड़ी रोड़ साईड में फिसली हुई मिली जो फंसी हुई गाड़ी को निकालने का प्रयास कर रहा था जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमरायान जाप्ता अपने-अपने वाहनो को रोड़ पर साईड में खड़े कर आरोपी को घेरा डालकर रोका तथा वाहन से बाहर निकलने की कहने पर आरोपी बाहर निकला जिसके एक हाथ कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने एवं दुसरे हाथ को कानि. श्री सुनिल कुमार द्वारा पोचो से उपर पकड़वाया गया तथा उपस्थित परिवादी ने ईशारा कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि यही आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर है, जिन्होने मेरे से दिनांक 12.12.2025 को जरिये वाट्सअप कॉल एवं आमने-सामने हुई रूबरू वार्ता के दौरान मेरी शिव क्लिनिक मण्डार को अब चैक नहीं करने एवं केस नहीं बनाने की ऐवज में मेरे से 50,000 रूपयें की रिश्वत राशि की मांग की गई, मांग अनुसार/व्यवस्था अनुसार मैने 20,000 रूपयें भारतीय प्रचलित मुद्रा के पेश किये तथा ब्यूरो द्वारा शेष राशि 30,000 रूपयें के डमी नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक) के 500-500 रूपयें के 60 नोट सहित कुल राशि 50,000 रूपयें मांग अनुसार मैनें अभी कुछ समय पूर्व मुझ से इनके निवास से इनकी निजी वाहन स्वीफ्ट गाड़ी में इनके साथ मुझे बिठाकर रेवदर कस्बे से करोटी जाने वाली रोड़ पर रेवदर कस्बे से बाहर मेरे से रिश्वत राशि 50,000 रूपयें मेरे से गाड़ी में मांग कर गियर के पास कंसोल बॉक्स पर रखने हेतु कहने पर मैनें आरोपी के कहे अनुसार उक्त रिश्वत राशि 50,000 रूपयें गियर के पास कंसोल बॉक्स पर रखने के बाद मुझे गाड़ी से निचे उतार दिया, तब मैने टेªप दल के सदस्यों को पूर्व निर्धारित ईशारा किया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एवं हमरायान का परिचय आरोपी को देते हुए आने का प्रायोजन से अवगत कराया गया तथा परिवादी द्वारा बताये गये कथनो के क्रम में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ पुत्र श्री हाफत खान जाति मुसलमान उम्र 39 वर्ष निवासी आकल पोस्ट ओगला तहसील सेड़वा पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर हाल निवासी मण्डार रोड़ रेवदर जिला सिरोही हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक रेवदर, जिला सिरोही होना बताया जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी की तरफ ईशारा करते हुए पूछा गया कि क्या तुम इसे जानते हो तो आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद ने बताया कि इनका नाम डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी है जिनका शिव क्लिनिक मण्डार में है जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद से पूछा गया कि आपने उक्त रिश्वत राशि 50,000 रूपयें परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी से किस बात के लिये है, जिस पर डॉ. लोंग मोहम्मद ने बताया कि मैने पूर्व में शिव क्लिनिक डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के विरूद्व कार्यवाही की गई

जो न्यायालय में विचाराधीन है अभी कुछ दिन पूर्व मैं फिल्ड में निरीक्षण करने शिव क्लिनिक मण्डार पर गया तो मुझे डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी क्लिनिक पर उपस्थित मिला, जिसे मैंने क्लिनिक के संबंध में चैक करने की कहा तो डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी ने मुझे कहा की साहब मुझ पर कृपा रखो तो मैने डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को शिव क्लिनिक मण्डार को चैक नहीं करने एवं केस नहीं बनाने के बदले मैने खर्चा पानी देने की बात कही थी तो डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मेरे से मेरे निवास रेवदर पर दिनांक 12.12.2025 को दिन में आया और मुझ से बात की तो मैने इनकी क्लिनिक की चैकिंग नहीं करने व कार्यवाही नहीं करने के ऐवज में खर्चे पानी के 50,000 रूपयें लिखकर मांगे थे तथा दिनांक 16.12.2025 को मुझे डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी द्वारा वाट्सअप कॉल कर बताया कि मैं रूपयें लेकर आ गया हूं कहां मिलू तो मैने डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को वन्दे मातरम होटल पर मिलने के लिये कहा तब दिनांक 16.12.2025 को मैं वन्दे मातरम होटल पर नहीं जाकर श्री कृष्णपाल माली फार्मासिस्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, रेवदर जिला सिरोही को भेजा और श्री कृष्णपाल माली फार्मासिस्ट को मैने कहा कि डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को कहना की आज साहब को समय नहीं है इसलिये आज नहीं मिल सकेगे फिर आज दिनांक 18.12.2025 को अभी कुछ समय पूर्व मेरे से हुई वाट्सअप कॉल वार्ता के अनुसार मेरे निवास पर डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी आया तब मैने इनसे खर्चे पानी के रूपयें मांगे तो मुझे कुछ शंका होने से मैं इनको मेरी निजी गाड़ी में बिठाकर रेवदर से करोटी जाने वाले रोड़ पर रेवदर कस्बे से बाहर निकलते ही मैनें इनसे रूपयें मांगे और गाड़ी में गियर के पास कंसोल बॉक्स पर रखने की कहा, जिस पर डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी द्वारा उक्त नोटो की गड्डी जिसमे 50,000 रूपयें मेरे सामने कंसोल बॉक्स पर रखने के बाद मैने अपनी गाड़ी रोक कर मैन रोड़ के साईड में डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को उतार दिया तब मेरे पीछे आरजे 14 पासिंग गाड़ी ट्वेरा दिखी इसलिये मुझे पूर्ण शंका हुई कि मेरे पीछे ये गाड़ी पीछा कर रही है इसलिये मैं मेरी खुद की जान को जोखिम में डालकर करोटी चौराहे से भैरू गढ रोड़ की तरफ चलता गया और मेरे पीछे-पीछे आप लोगो की गाड़ी आ रही थी जो मुझे साईड ग्लास में दिख रहा था। भैरू गढ कस्बे से बाहर आगे रोड़ पर विकट मोड़ पर मैने उक्त रिश्वत राशि जो कंसोल बॉक्स पर रखी हुई को मैने बायी साईड में फैकते हुए आगे विकट मोड़ मोड़ होने से एवं आगे पशु आ जाने से मेरी गाड़ी अनियन्त्रित होकर बाड़ में घुस गई और इतने में आप सभी ब्यूरो टीम के सदस्य मेरे पास आ गये और मुझे पकड़ लिया। उक्त कथन के संबंध में परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी से पूछा तो डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी ने आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर के उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि मेरी शिव क्लिनिक को चैक नहीं करने एवं कार्यवाही नहीं करने के ऐवज में इन्होने मेरे से दिनांक 12.12.2025 को 50,000 रूपयें की रिश्वत राशि की मांग की गई थी और मांग अनुसार/व्यवस्था अनुसार मैने 20,000 रूपयें भारतीय प्रचलित मुद्रा के पेश किये तथा ब्यूरो द्वारा शेष राशि 30,000 रूपयें के डमी नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक) के 500-500 रूपयें के 60 नोट सहित कुल राशि 50,000 रूपय गियर के पास कंसोल बॉक्स पर रखवाये है जो सही है, तथा दिनांक 16.12.2025 को जब मैने आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद को वाट्सअप कॉल कर रूपयें के संबंध में कहा तो मुझे आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद ने कहा कि वन्दे मातरम होटल पर आओ मैं वही मिलता हूँ, जिस पर मैं वन्दे मातरम होटल पर पहुचा काफी इन्तजार करने के बाद श्री कृष्णपाल माली फार्मासिस्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, रेवदर जिला सिरोही वन्दे मातरम होटल पर आया और मेरे से मिला और कहा कि साहब आज मीटिंग में बिजी है इसलिये आज नहीं मिलेगे। उक्त वार्ता डीवीआर में रिकॉर्ड की गई जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनो के संबंध में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पुनः पूछा तो आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि साहब गलती हो गई है, मुझे भी शक हो रहा था कि डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मेरे पास दो चार दिन से चक्कर काट रहा है किन्तु मेरा समय खराब था, मुझे माफ कर दो, आईन्दा ऐसी गलती नहीं करूगा, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.12.2025 एवं आज दिनांक 18.12.2025 को रिश्वत राशि लेन देन के वक्त हुई वार्ता को डीवीआर ऑन कर सुनाई गई तो आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद ने रिश्वत राशि मांगने एवं ग्रहण करने संबंधी तथ्यों की पुष्टि की एवं स्वयं की एक आवाज होने की पहचान की एवं उपरोक्त परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी एवं आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताये गये तथ्यों से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी से शिव क्लिनिक को चैक नहीं करने एवं केस नहीं बनाने की ऐवज में रिश्वत राशि 50,000 रूपयें मांग कर ग्रहण करने की रिश्वत राशि के बारे में प्रमाणिकता होने पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु सरकारी वाहन मे से श्री शेर सिंह कानि. चालक से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में सें दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में श्री दलपत सिंह सहायक उप निरीक्षक व श्री सुनिल कुमार कानि. से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का मटमैल होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा

भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बांयें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का मटमैला होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा तत्पश्चात आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जामा तलाशी मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार जामा तलाशी गवाह श्री सीताराम मीणा से लिवाई गई तो रिश्वत राशि के अलावा राशि 8,000 रूपयें एवं एक सैमसंग कम्पनी का मोबाईल जिसमें दो मोबाईल सीम लगी हुई मिली उक्त जामा तलाशी में मिली राशि 8,000 रूपयें को कब्जे ब्यूरो ली गई एवं जामा तलाशी में मिले मोबाईल की फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जावेगी। तथा ट्रेप बॉक्स में सें एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में श्री सुनिल कुमार कानि. से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की निजी वाहन आरजे 04 सीए 8787 के गियर के पास कंसोल बॉक्स पर रिश्वत राशि रखी जाने से उक्त कंसोल बॉक्स के रिश्वत राशि सम्पर्क स्थल के धोवन हेतु रूई के गिले पोहे को रगड़कर उक्त पोहे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क CB-1 व CB-2 अंकित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात रिश्वत राशि आरोपी की जमा तलाशी एवं आरोपी के निजी वाहन की तलाशी में नहीं मिलने से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो टीम के जाप्ता मय स्वतंत्र गवाह को हिदायत मुनासिब की गई कि रिश्वत राशि आप-पास स्थान पर फैंक दी गई है जिसकी तलाश की जावे, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमरायान के रिश्वत राशि की तलाश करते करते रोड़ के मोड़ पर बायी किनारे की तरफ कुछ 500-500 रूपयें के नोट बिखरे हुए दिखाई दिये, जिसे आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के सामने दोनो स्वतंत्र गवाह से विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करते हुए उठवाई जाकर गिनवाई गई तो भारतीय प्रचलन मुद्रा के 500-500 रूपयें के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपयें एवं भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 रूपयें के 60 डमी नोट कुल राशि 30,000 रूपयें सहित कुल राशि 50,000 रूपयें मिले जिनमे भारतीय प्रचलन मुद्रा की 500-500 रूपयें के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये राशि हुबहु होना पाये गये। नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उपरोक्त बरामद शुदा नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया तथा ट्रेप बॉक्स में सें नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों श्री सुनिल कुमार कानि. से निकलवाकर स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व आरोपी के समक्ष भैरू गढ से भटाणा रोड़ पर वीर मामाजी के थान के पास मोड़ पर बायी तरफ रोड़ के किनारे पर पड़ी हुई मिली जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी। उक्त रिश्वत राशि सम्पर्क स्थल की मिट्टी लेकर दो कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क D-1 व D-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की निजी वाहन आरजे 04 सीए 8787 की तलाशी गवाह श्री सीताराम मीणा व गवाह श्री नारायण लाल भाट से लिवाई गई तो गाड़ी में एक लेपटॉप मिला जिसकी एवं गाड़ी की फर्द जप्ती की फर्द समय 06.30 पीएम पर पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा फर्द जप्ती की एक प्रति पुलिस चौकी भटाणा के श्री गीदाराम कानि. नं. 1024 को दी गई एवं जप्त शुदा लेपटॉप मय आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की निजी वाहन आरजे 04 सीए 8787 को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि उक्त लेपटॉप एवं वाहन आरजे 04 सीए 8787 को वजह सबूत सुरक्षित पुलिस थाना मण्डार भिजवाया जाकर सुरक्षित रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा श्री कृष्णपाल माली फार्मासिस्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, रेवदर जिला सिरोही की भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी। प्रकरण के परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर आपस में वाट्सअप कॉल वार्ता रिकॉर्ड पर होने से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर व मोबाईल नम्बर उक्त दोनो सीम आवश्यक होने से उक्त मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा तथा घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जावेगा। मौके पर ही उपरोक्त कार्यवाही की श्री संदीप कुमार कानि0 के सरकारी मोबाईल से विडीयोग्राफी एवं फोटोग्राफी करवाई गई। मौके पर आम सड़क/आम रास्ता एवं पब्लिक आवागमन होने से उपरोक्त हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि की समस्त कार्यवाही की लिखा पढी हेतु समय करीब 6.40 पी.एम. पर मौके से नजदीकी पुलिस थाना रेवदर के लिये रवाना हो समय करीब 7.05 पी.एम. पर पुलिस थाना रेवदर पर पहुच उपरोक्त कार्यवाही की लिखा पढी प्रारम्भ की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। उक्त फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि की कार्यवाही समय करीब 10.00 पी.एम. पर सम्पन्न की गई। इसके बाद समय करीब 10.05 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एंव मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष डॉ. लोंग मोहम्मद, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही की जामा तलाशी

गवाह श्री सीताराम मीणा से लिवाई गई तो अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी का बरंग लाईट ग्रीन होकर जिसमें आईएमईआई नम्बर सिम स्लाट 1 नम्बर जीओ मोबाईल नम्बर एवं सिम स्लाट 2 नम्बर एयरटेल मोबाईल नम्बर की सिम लगी हुई है, उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 10.15 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 16.12.2025 को समय 10.51 ए.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 16.12.2025 समय करीब 11.07 ए.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को होटल वन्दे मातरम, रेवदर में संदिग्ध श्री कृष्णपाल माली फार्मासिस्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवदर जिला सिरोही के मध्य आमने-सामने हुई रूबरू वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को लेपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री संदीप कुमार कानि 83 से उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 11.15 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 18.12.2025 को समय 02.11 पी.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल नहीं लगने पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर से परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर पर बाबा रामदेव होटल में हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.09 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर मंन्डार में वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.11 पीएम पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर से परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर पर मंन्डार में वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.44 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर रेवदर में वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, व दिनांक 18.12.2025 को समय 04.46 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी व आरोपी डॉ लोंग मोहम्मद के घर व गाडी में आमने-सामने हुई रूबरू वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को लेपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री संदीप कुमार कानि 83 से उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद दिनांक 19.12.2025 को समय करीब 01.00 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ पुत्र श्री हाफत खान जाति मुसलमान उम्र 39 वर्ष निवासी आकल पोस्ट ओगला तहसील सेड़वा पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर हाल निवासी मण्डार रोड़ रेवदर जिला सिरोही हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को उसके विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध से आगाह किया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों व बीएनएसएस के प्रावधानों से अवगत करा कर हस्वकायदा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के चाचा श्री नवाब अली के मोबाईल नम्बर पर दी गई। फर्द गिरफतारी मय् चैक लिस्ट पृथक से हस्ब कायदा मुर्तीब कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 01.40 एएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 11.46 ए.एम. पर एसीबी कर्मचारी श्री शेर सिंह व परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को डीवीआर सुपुर्द करने संबंधी वार्ता, दिनांक 12.12.2025 को समय 11.53 ए.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 12.12.2025 समय करीब 12.15 पी.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता एवं दिनांक 12.12.2025 समय करीब 12.18 पी.एम. से 12.48 पी.एम. के मध्य हुई रूबरू वार्ता परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी एवं आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक रेवदर, जिला सिरोही के मध्य आरोपी के रिहायशी मकान रेवदर पर हुइ वार्ता एवं दिनांक 16.12.2025 को समय 10.51 ए.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 16.12.2025 समय करीब 11.07 ए.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को होटल वन्दे मातरम, रेवदर में संदिग्ध श्री कृष्णपाल माली फार्मासिस्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवदर जिला सिरोही के मध्य आमने-सामने हुई रूबरू वार्ता, 16.12.2025 को समय 12.26 पी.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को डीवीआर देकर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर परिसर में स्थित कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद से वार्ता हेतु भिजवाया गया किन्तु उक्त वार्ता प्रकरण से संबंधित नहीं होकर परिवादी व अन्य से की गई वार्ता तथा दिनांक 16.12.2025 को समय 13.41 बजे (1.41 पी.एम.)

पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को डीवीआर देकर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के निवास पर वार्ता हेतु भिजवाया गया किन्तु आरोपी निवास पर नहीं मिलने के कारण उक्त वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 02.11 पी.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल नहीं लगने पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर से परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर पर बाबा रामदेव होटल में हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.09 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर मण्डार में वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.11 पी.एम. पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर से परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर पर मंडार में हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.44 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर रेवदर में वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता तथा दिनांक 18.12.2025 को समय 04.46 पीएम परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी व आरोपी डॉ लोंग मोहम्मद के घर व गाडी में आमने-सामने हुई रूबरू वार्ता का ऑडियो रिकार्डिंग लेन-देन वार्ता कुल 13 वार्तायें जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित थी उक्त डीवीआर को श्री संदीप कुमार कानि. द्वारा लेपटॉप से कनेक्ट कर तीन पेन ड्राईव केडीएम कंम्पनी के 32 जीबी बरंग सिल्वर में कॉपी कर उक्त तीनो पेन ड्राईव की हैश वैल्यू निकाली गई एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु एवं एक पेन ड्राईव आरोपी हेतु जिनको एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पेन ड्राईव जो अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। फर्द डबिग पेन ड्राईव पृथक से तैयार करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 02.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 11.46 ए.एम. पर एसीबी कर्मचारी श्री शेर सिंह व परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को डीवीआर सुपुर्द करने संबंधी वार्ता, दिनांक 12.12.2025 को समय 11.53 ए.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 12.12.2025 समय करीब 12.15 पी.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता एवं दिनांक 12.12.2025 समय करीब 12.18 पी.एम. से 12.48 पी.एम. के मध्य हुई रूबरू वार्ता परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी एवं आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक रेवदर, जिला सिरोही के मध्य आरोपी के रिहायशी मकान रेवदर पर हुइ वार्ता एवं दिनांक 16.12.2025 को समय 10.51 ए.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 16.12.2025 समय करीब 11.07 ए.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को होटल वन्दे मातरम, रेवदर में संदिग्ध श्री कृष्णपाल माली फार्मासिस्ट राजकीय सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र, रेवदर जिला सिरोही के मध्य आमने-सामने हुई रूबरू वार्ता, 16.12.2025 को समय 12.26 पी.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को डीवीआर देकर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर परिसर में स्थित कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद से वार्ता हेतु भिजवाया गया किन्तु उक्त वार्ता प्रकरण से संबंधित नहीं होकर परिवादी व अन्य से की गई वार्ता तथा दिनांक 16.12.2025 को समय 13.41 बजे (1.41 पी.एम.) पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को डीवीआर देकर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के निवास पर वार्ता हेतु भिजवाया गया किन्तु आरोपी निवास पर नहीं मिलने के कारण उक्त वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 02.11 पी.एम. पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल नहीं लगने पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर से परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर पर बाबा रामदेव होटल में हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.09 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर . पर मण्डार में वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.11 पी.एम. पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर से परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर पर मंडार में हुई वार्ता, दिनांक 18.12.2025 को समय 04.44 पीएम पर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी के मोबाईल नम्बर से आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद के मोबाईल नम्बर पर रेवदर में वाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता तथा दिनांक 18.12.2025 को समय 04.46 पीएम परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी व आरोपी डॉ लोंग मोहम्मद के घर व गाडी में आमने-सामने हुई रूबरू वार्ता का ऑडियो रिकार्डिंग लेन-देन वार्ता कुल 13 वार्तायें जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू पृथक से निकाली गई। उक्त मुल मेमोरी कार्ड केडिएम 32 जीबी कार्ड बरंग काला को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर मार्क " M" अंकित कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये

जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 02.29 एएम पर थानाधिकारी पुलिस थाना रेवदर के नाम पत्र क्रमांक एसपीएल दिनांक 19.12.2025 जारी कर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को थाने के हवालात में जमा कराने बाबत् आरोपी को मय् तहरीर के सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय करीब 07.40 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को हमरा ले मय स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप मय प्रिन्टर के रिश्वत राशि देने व निर्धारित ईशारा करने के स्थल एवं रिश्वत राशि बरामदगी घटना स्थल का नक्शा मौका बनाने हेतु रेवदर कस्बे में स्थित मारूति सुजुकी शोरूम के पास एवं भैरूगढ़ भटाणा रोड पर स्थित वीर मामाजी के थान के पास के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 08.00 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के रेवदर कस्बे में स्थित मारूति सुजुकी शोरूम पर पहुंचा । घटना स्थल का निरीक्षण कर दोनों स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया जाकर रिश्वत राशि बरामदगी घटना स्थल का नक्शा मौका बनाने हेतु भैरूगढ़ भटाणा रोड पर स्थित वीर मामाजी के थान के पास जाने के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 08.30 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के भैरूगढ़ भटाणा रोड पर स्थित वीर मामाजी के थान के पास पहुंचा । घटना स्थल का निरीक्षण कर दोनों स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया जाकर वहाँ से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पूर्वानुसार पुलिस थाना रेवदर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 09.30 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के पुलिस थाना रेवदर पहुंचा । इसके बाद समय करीब 09.50 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही की गिरफ्तारी की सूचना श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सेड़वा, जिला बाडमेर देने हेतु पत्र क्रमांक एसपीएल 04 दिनांक 19.12.2025 जारी कर प्रेषित किया गया। इसके बाद समय करीब 10.00 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के नाम पत्र क्रमांक एसपीएल 02 दिनांक 19.12.2025 जारी कर प्रेषित किया गया। इसके बाद समय करीब 10.20 एएम पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को पुलिस थाना रेवदर से प्राप्त किया गया। इसके बाद समय करीब 10.25 एएम पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को नमूना आवाज रिकॉर्ड कराने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक एसपीएल 01 दिनांक 19.12.2025 जारी कर आरोपी को दिया गया जिस पर मूल ही पत्र पर आरोपी ने अपनी हस्तलिपि में अंकित किया कि मैं अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड नही कराना चाहता हुं एवं अंकित किया कि मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत कर दूंगा तथा अपने हस्ताक्षर कर मूल पत्र पुनः लौटाया जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावाली किया गया। इसके बाद समय करीब 10.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद को हमरा ले मय स्टाफ के सदस्य श्री सुनील कुमार कानि. व श्री सन्दीप कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के आरोपी के निवास स्थान की खाना एवं आरोपी के कार्यालय की खाना तलाशी एवं जरिये पत्रांक एसपीएल नं0 3 दिनांक 19.12.2025 के आरोपी का मेडिकल कराने हेतु पुलिस थाना रेवदर से रेवदर कस्बे के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 10.40 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद मय स्टाफ के सदस्य श्री सुनील कुमार कानि. व श्री सन्दीप कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के आरोपी के रेवदर स्थित निवास स्थान पर पहुंचा । नियमानुसार आरोपी के निवास की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री सन्दीप कुमार कानि. से सरकारी मोबाईल से करायी गई। इसके पश्चात् आरोपी के कार्यालय की खाना तलाशी लेने हेतु रवाना हुए। इसके बाद समय करीब 11.10 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद मय स्टाफ के सदस्य श्री सुनील कुमार कानि. व श्री सन्दीप कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप

जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 02.29 एएम पर थानाधिकारी पुलिस थाना रेवदर के नाम पत्र क्रमांक एसपीएल दिनांक 19.12.2025 जारी कर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को थाने के हवालात में जमा कराने बाबत् आरोपी को मय् तहरीर के सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय करीब 07.40 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी को हमरा ले मय स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप मय प्रिन्टर के रिश्वत राशि देने व निर्धारित ईशारा करने के स्थल एवं रिश्वत राशि बरामदगी घटना स्थल का नक्शा मौका बनाने हेतु रेवदर कस्बे में स्थित मारूति सुजुकी शोरूम के पास एवं भैरूगढ़ भटाणा रोड पर स्थित वीर मामाजी के थान के पास के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 08.00 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के रेवदर कस्बे में स्थित मारूति सुजुकी शोरूम पर पहुंचा । घटना स्थल का निरीक्षण कर दोनों स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया जाकर रिश्वत राशि बरामदगी घटना स्थल का नक्शा मौका बनाने हेतु भैरूगढ़ भटाणा रोड पर स्थित वीर मामाजी के थान के पास जाने के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 08.30 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के भैरूगढ़ भटाणा रोड पर स्थित वीर मामाजी के थान के पास पहुंचा । घटना स्थल का निरीक्षण कर दोनों स्वतन्त्र गवाह की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया जाकर वहाँ से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पूर्वानुसार पुलिस थाना रेवदर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 09.30 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह, एएसआई व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के पुलिस थाना रेवदर पहुंचा । इसके बाद समय करीब 09.50 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही की गिरफ्तारी की सूचना श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सेड़वा, जिला बाडमेर देने हेतु पत्र क्रमांक एसपीएल 04 दिनांक 19.12.2025 जारी कर प्रेषित किया गया। इसके बाद समय करीब 10.00 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के नाम पत्र क्रमांक एसपीएल 02 दिनांक 19.12.2025 जारी कर प्रेषित किया गया। इसके बाद समय करीब 10.20 एएम पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को पुलिस थाना रेवदर से प्राप्त किया गया। इसके बाद समय करीब 10.25 एएम पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को नमूना आवाज रिकॉर्ड कराने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक एसपीएल 01 दिनांक 19.12.2025 जारी कर आरोपी को दिया गया जिस पर मूल ही पत्र पर आरोपी ने अपनी हस्तलिपि में अंकित किया कि मैं अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड नही कराना चाहता हुं एवं अंकित किया कि मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत कर दूंगा तथा अपने हस्ताक्षर कर मूल पत्र पुनः लौटाया जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावाली किया गया। इसके बाद समय करीब 10.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद को हमरा ले मय स्टाफ के सदस्य श्री सुनील कुमार कानि. व श्री सन्दीप कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के आरोपी के निवास स्थान की खाना एवं आरोपी के कार्यालय की खाना तलाशी एवं जरिये पत्रांक एसपीएल नं0 3 दिनांक 19.12.2025 के आरोपी का मेडिकल कराने हेतु पुलिस थाना रेवदर से रेवदर कस्बे के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 10.40 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद मय स्टाफ के सदस्य श्री सुनील कुमार कानि. व श्री सन्दीप कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के आरोपी के रेवदर स्थित निवास स्थान पर पहुंचा । नियमानुसार आरोपी के निवास की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री सन्दीप कुमार कानि. से सरकारी मोबाईल से करायी गई। इसके पश्चात् आरोपी के कार्यालय की खाना तलाशी लेने हेतु रवाना हुए। इसके बाद समय करीब 11.10 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद मय स्टाफ के सदस्य श्री सुनील कुमार कानि. व श्री सन्दीप कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप

मय प्रिन्टर मय सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी रेवदर पर पहुंचे। उक्त कार्यालय में स्थित आरोपी के कक्ष की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री सन्दीप कुमार कानि. से सरकारी मोबाईल से करायी गई। इसके पश्चात् आरोपी का मेडिकल कराने हेतु वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर जाने के लिए रवाना हुए। इसके बाद समय करीब 11.45 एएम पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर के कक्ष में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद का मेडिकल करवाया जाकर पत्रांक एसपीएल 03 दिनांक 19.12.2025 पर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन कर शामिल पत्रावली कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद मय स्टाफ के सदस्य श्री सुनील कुमार कानि. व श्री सन्दीप कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेवदर से पुलिस थाना रेवदर के लिए रवाना हुए। इसके बाद समय करीब 12.05 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद मय स्टाफ के सदस्य श्री सुनील कुमार कानि. व श्री सन्दीप कुमार कानि. के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के मय आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड के पुलिस थाना रेवदर पहुँचा। इसके बाद समय करीब 12.10 पीएम पर आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही के आवास एवं कार्यालय की खाना तलाशी की सूचना देने हेतु श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली के नाम पत्र क्रमांक एसपीएल 05 दिनांक 19.12.2025 जारी कर मय फर्दात के प्रेषित किया गया। इसके बाद समय करीब 12.25 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहन तथा परिवादी की उपस्थिति में विडियो एवं फोटोग्राफी दिनांक 16.12.2025 को पेशकशी सुपुर्दगी नोट के दौरान एवं 18.12.2025 को हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि एवं दिनांक 19.12.2025 को आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी एवं आरोपी के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी के दौरान की गई विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी जो कार्यालय के सरकारी मोबाईल में मेमोरी कार्ड में रिकार्ड कार्यवाही के दौरान बनाये गये विडियोग्राफी एवं फोटो जो श्री संदीप कुमार कानि द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड केडिएम 32 जीबी कार्ड बरंग काला मे रिकार्ड किये गये थे। उक्त मूल मेमोरी कार्ड लगे हुए सरकारी मोबाईल को श्री संदीप कुमार कानि. द्वारा लेपटॉप से कनेक्ट कर दो पेन ड्राईव केडीएम कम्पनी के 32 जीबी बरंग सिल्वर में कॉपी कर उक्त दोनो पेन ड्राईव की हैश वैल्यू निकाली गई एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु एक सफेद कपडे की थैली में शीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पेन ड्राईव जो अनुसंधान अधिकारी/जांच अधिकारी हेतु खुला रखा गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव श्री संदीप कुमार कानि. 83 से पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 01.00 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान गवाहन तथा परिवादी की उपस्थिति में विडियो एवं फोटोग्राफी दिनांक 16.12.2025 को पेशकशी सुपुर्दगी नोट के दौरान एवं 18.12.2025 को हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि एवं दिनांक 19.12.2025 को आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी एवं आरोपी के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी के दौरान की गई विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी जो कार्यालय के सरकारी मोबाईल में मेमोरी कार्ड में रिकार्ड कार्यवाही के दौरान बनाये गये विडियोग्राफी एवं फोटो जो श्री संदीप कुमार कानि द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड केडिएम 32 जीबी कार्ड बरंग काला मे रिकार्ड किये गये थे। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्यू पृथक से निकाली गई। उक्त मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर एक सफेद कपडे की थैली में सुरक्षित रख कर सिलचिट कर मार्क " M-1" अंकित कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द हाजा श्री संदीप कुमार कानि. 83 से पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 02.30 पीएम पर श्री ओम प्रकाश मुख्य आरक्षी, श्री सुनील कुमार कानि0, श्री सन्दीप कुमार कानि0 के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को वास्ते जे. सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ पुत्र श्री हाफत खान जाति मुसलमान उम्र 39 वर्ष निवासी आकल पोस्ट ओगला तहसील सेड़वा पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर हाल निवासी मण्डार रोड़ रेवदर जिला सिरोही हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी डॉ. प्रवीण कुमार चौधरी पुत्र श्री भगवान जी चौधरी उम्र 31 वर्ष निवासी यावरपुरा तहसील डिसा जिला बनासकांटा (गुजरात) हाल मुकाम शिव क्लिनिक मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही की क्लिनिक को चैक नहीं करने एवं केस नहीं बनाने की एवज में अपनी मांग अनुसार परिवादी से दिनांक 18.12.2025 को 50,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया। आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही को दिनांक 19.12.2025 समय 01.00 एएम पर गिरफ्तार किया गया। उक्त रिश्वत राशि में भारतीय प्रचलन मुद्रा

के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये एवं भारतीय मनोरंजन बैंक के 500-500 रूपये के 60 डमी नोट कुल राशि 30,000 रूपये सहित कुल राशि 50,000 रूपये मौके से बरामद की गई। आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।अतः आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ पुत्र श्री हाफत खान जाति मुसलमान उम्र 39 वर्ष निवासी आकल पोस्ट ओगला तहसील सेड़वा पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर हाल निवासी मण्डार रोड़ रेवदर जिला सिरोही हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है।(हरिश्चन्द्र सिंह)उप अधीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. लोंग मोहम्मद राजड़ पुत्र श्री हाफत खान जाति मुसलमान उम्र 39 वर्ष निवासी आकल पोस्ट ओगला तहसील सेड़वा पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर हाल निवासी मण्डार रोड़ रेवदर जिला सिरोही हाल ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मण डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर एस.यू. को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 307 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1900-03 दिनांक 19.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान,जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the Investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** LAKSHMAN LAL DANGI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :** -

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

-

-

-

-

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]2/2025 [illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)